

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांक:- 0006/ अ-19(3)/2017-18/13114

बैतूल दिनांक 5 /12/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, उप संचालक उद्यान बैतूल के पत्र क्रमांक- उद्यान/तक-1/रोपणी/2017-18 दिनांक 14-06-2017 द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुक्रम में, प्रक्षेत्र प्रबंधक मध्यप्रदेश बीज एवं रकबा फार्म विकास निगम बैतूल बाजार के नाम से दर्ज मौजा बैतूल बाजार तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 78 रकबा 2.553 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 74 के कुल रकबे में से 0.830 हेक्टेयर भूमि शासकीय उद्यान बैतूल बाजार (उद्यान विभाग) के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त संबंध में नायब तहसीलदार बैतूल (बैतूल बाजार वृत्त) एवं अनुविभागीय अधिकारी बैतूल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा बैतूल बाजार तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 74/1 रकबा 5.563 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम बैतूलबाजार के नाम से भूमिस्वामी हक में दर्ज है।

(2)- उप संचालक उद्यान बैतूल द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार, मौजा बैतूल बाजार स्थित खसरा नंबर 74/1 रकबा 5.563 हेक्टेयर भूमि शासकीय उद्यान बैतूल बाजार (उद्यान विभाग) के नाम से हस्तारित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(3)- प्रक्षेत्र प्रबंधक मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम बैतूल बाजार के पत्र क्रमांक:- 62 दिनांक 12-6-2017 द्वारा मौजा बैतूल बाजार स्थित खसरा नंबर 78 कुल रकबा 2.553 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 74 में से रकबा 0.830 हेक्टेयर भूमि शासकीय उद्यान बैतूल बाजार के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु अनापत्ति दी गई है।

3- नायब तहसीलदार बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए, मौजा बैतूल बाजार तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 74/1 में से रकबा 0.830 हेक्टेयर भूमि उप संचालक उद्यानिकी बैतूल के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

4- कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा आदेश क्रमांक:- 1/2011/अधी./8670 दिनांक 4-8-2017 द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड- चार -एक के अन्तर्गत शासकीय भूमि अंतरण संबंधी समस्त प्रकरणों के निराकरण हेतु अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम बैतूलबाजार के नाम से दर्ज होने के कारण सर्वप्रथम उक्त विभाग से भूमि वापस लेकर पूर्ववत् शासन (राजस्व विभाग) में निहित किया जाना आवश्यक है।

5- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक- एफ 6-7/2013/सात/2बी, दिनांक 13-2-2013 में यह प्रावधानित किया गया है कि, वर्तमान संदर्भ में कलेक्टर यह पाते हैं कि, किसी विभाग को आवंटित/आरक्षित भूमि आवश्यकता से अधिक है, अथवा उक्त विभाग को प्रश्नाधीन भूमि की आवश्यकता ही नहीं है तो संबंधित भूमि को संभागीय आयुक्त के अनुमोदन उपरांत राजस्व विभाग के पक्ष में वापस लेने का निर्णय ले सकते हैं।

6- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में मौजा बैतूल बाजार तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 78 रकबा 2.553 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम बैतूलबाजार से वापस लिए जाने संबंध में, संभागीय आयुक्त महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

L

6

प्रेषित किया गया। आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के पत्र क्रमांक:- 8662/राजस्व/2017 दिनांक 26-11-2017 द्वारा उक्त प्रश्नाधीन भूमि राजस्व विभाग के पक्ष में वापस लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

7- अतएव नायब तहसीलदार बैतूल/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के अभिमत व अनुशंसा तथा आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में मौजा बैतूल बाजार स्थित खसरा नंबर 74/1 रकबा 5.563 हेक्टेयर में से 0.830 हेक्टेयर भूमि पूर्वानुसार शासन में निहित की जाकर, मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (शासकीय उद्यान बैतूल बाजार) को निम्नानुसार शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है:-

- (1)- हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।
- (2)- भूमि पर प्रस्तावित निर्माण कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तों के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (4) शर्तों का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 0006/अ-19(3)/2017-18/13114
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 5/12/2017

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल।
- 2- नायब तहसीलदार बैतूल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 3- उप संचालक उद्यान बैतूल की ओर उनके पत्र क्रमांक:- उद्यान/तक-1/रोपणी/2017-18 दिनांक 14-06-2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 4- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 5- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.